



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास के मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 28.07.2025 को मा० न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 11.03.2022 को अभियुक्त अबुजर पुत्र नजाकत निवासी मौ० कोटला सादात थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा दुकान में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु०अ०सं० 106/2022 धारा 452, 354क, 354घ, 506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 23.03.2022 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 28.07.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉस्को प्रथम हापुड़ द्वारा 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ०नि० श्री बनी सिंह एवं पैरोकार म०का० कुसुम व कोर्ट मोहरीर है०का० प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

